रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012026-269136
CG-DL-E-06012026-269136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947
No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

का.आ. 87(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण", (पैन: AAAAM4651Q) (इसमें इसके पश्चात् "निर्धारिती" कहा गया है), जोकि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) के तहत गठित प्राधिकरण है और उत्तराखंड शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत यथा विनियमित है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती उत्तराखंड शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत यथा विनियमित हो, तथा आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजन के साथ उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 03 /2026/फा. सं. 300195/14/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।